THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1986 (INSERTION OF NEW AR-TICLE 333-A) - Contd.

The Constitution

श्री राम नरेश क्शवाहा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री एन० राजंगम द्वारा प्रस्तृत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हम्रा हं। जहां तक स्थानीय निकायों में भ्रारक्षण का सम्बन्ध है हमारे उत्तर प्रदेश में तो है ग्रीर पंचायतों में भी है, सब जगह है लेकिन श्रगर कहीं नहीं है देश में तो निश्चित रूप से इनके लिए भ्रारक्षण होना चाहिये। जहां कहीं भी नहीं है, होना चाहिये। मान्यवर, ग्रारक्षण के बारे में तरह-तरह की बातें की जाती हैं। हमारे संविधान निर्मातास्रों ने श्रार्थिक भौर सामाजिक दोनों मोर्ची पर समानता लाने के लिए व्यवस्था की है। आर्थिक समानता के लिए उन लोगों ने गरीबी **छन्मलन ग्रौर योजनाग्रों का प्रावधान** किया है। योजनाश्रों के द्वारा इस देश से गरीबी भिटा दी जाए, सामाजिक समानता के लिए ग्रारक्षण की व्यवस्था की है। अगर किसी कारण से सरकार की विफलता से ग्रन्नमंप्यता या बदनीयती से चाहे जैसे भी प्रार्थिक समानता नहीं हुई तो इसका यह मतलव नहीं है कि सामाजिक समानता के लिए काम न किया जाए ग्रौर उसको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की जाए। जहां तक सामाजिक. समानता का प्रश्न है ग्रारक्षण कोई भीख नहीं है। स्रारक्षण संवैधानिक स्रधिकार है ग्रौर राज्य में हिस्सेदारी के लिए बहुत से लोग इसको नौकरियों से जोडते हैं। मान्यवर, यह नौकरियों का ही प्रश्न नहीं है कोई भी सरकार हो कल हमारी ही सरकार बन जाए तो हम सब को नौकरियां नहीं दे सकते हैं। इसलिए नौकरी के साथ ग्रारक्षण का प्रश्नजोडना बिल्कुल बेमतलव है क्योंकि सब को नौकरी नहीं दे सकते लेकिन न्याय का प्रश्न है हक का प्रश्न है राज में हिस्सेदारी का प्रकृत है। मान्यवर, दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है माफिया और नेक्सेलाइट । इनका सम्बन्ध ग्रारक्षण ़ से है। ब्राज स्थिति क्या है? राज्य प्रशासन एकदम एकतरफा है। एक तरफ

पलड़ा झुक गया है। खेती, नौकरी श्रीर व्यापार यह तीनों सुविधाएं एक ही वर्ग के हाथ में हैं। नौकरियां तो अधिकांश सुविधा प्राप्त वर्ग के हाथ में हैं। ग्राज शासन इतना एकांगी हो गया है। माफिया गिरोह किस को कहते हैं, यह कैसे पैदा होते हैं, यह हमारे शासनं का ढांचा पैदा करता है ग्रीर उसका एक कारण यह है कि वह एकांगी है केवल कुछ के हाथों में पूरा प्रशासन सिमटा हुआ। है। माफ़िया वह है जो खुद तो हो लोकदल में, बाप हो कांग्रेस में, बड़ा भाई हो सी०पी०एम० में, छोटा भाई हो सी०पी० ग्राई० में, बहनोई बी० जे०पी० में हो यानी हर पार्टी में कोई न कोई हो उसका रिश्तेदार हो साथ ही प्रशासन में भी हर स्तर पर उसका कोई नकोई रिश्तेदार या बिरादरी का ऐसा बैठा रही न्याय-पालिका में भी बैठा हुआ हो। होता यह है कि जब कोई पीडित ग्रादमी थाने में रपट लिखाने के लिए अत्याचारी के मुकाबले में जो ऊंची जाति का है अगर श्रत्याचारी की बिरादरी का थानेदार है ऊंची जाति का है तो मार कर भगा देगा ग्राप चाहे जो भी यहां से करें लेकिन रपट नहीं लिखेगा। यहां दिल्ली में कोई ब्रार०पी० गुप्ता हैं उस वेचारे का 22 कमरे का मकान है उस में वह इतने सालों से रहता था ग्रौर उस का परिवार रहता था दो लाख रुपये रिश्वत ले कर दक्षिण दिल्ली के डी०सी०पी० ने उस बेचारों को वहां से बेदखल करवा दिया ग्रौर उसी पर ट्रेसपासिंग का जार्च लगा कर म्कदमा करवा दिया।

म्राज जो दर-दर धूम रहा है, ठोकर खा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। भ्यों ? इसलिए कि उसकी बिरादरी का कोई थानेदार नहीं है, एस० पी० नहीं है ग्रौर कोई नहीं है, नेता उसको मदद नहीं करता इसलिए वह 420 टाइप का नहीं माफ़िया गिरोह जब अपराध करता उसी की बिरादरी का ग्रफ्सर बड़ी जाति का रिपोर्ट लिखाने वाले को थाने में से भगा देता है रिपोर्ट नहीं लिखता है । हम लोग जो वोट से

चुनकर ग्राने वाले हैं ग्रब जो जबर्दस्ती ब्थ कैं प्चर से जिता देता है तो उसके खिलाफ कुछ भी किया करें, हम नहीं जाते हैं। ग्रगर किसी ने रिपोर्ट लिखा भी ली तो मान्यवर हमारी ग्रदालतें भी ऐसी हो गयी हैं कि मुंह देखकर फैसला करती हैं। वास्तव में तो श्रदालतें पहले भी कमिटेड थीं ग्राज भी कमिटेड हैं । जैसे नागरिक स्वातंत्रय के मामले में फैसला नागरिक स्वतंत्रता के हक में होता है लेकिन सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति के हक में होता है सम्पत्ति के खिलाफ फैसला नहीं होता है । इसलिए नहीं होता है कि सारे सम्पत्ति वाले लोग ही जुडीशियरी में भी हैं। तो किमटेड तो थीं पहले भी लेकिन अब ज्यादा कमिटेड हो गयी हैं कई तरह से । तो मान्यवर, मेरा कहना है कि वह श्रादमी जो ग्रपराध करें, थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट न लिखी जाये, नेता उसके खिलाफ बात न सुने, चाहे मंत्री हो या नेता किसी भी दल के हों ग्रौर ग्रगर खुदा न खास्ता रिपोर्ट लिख ली जाये और श्रदालत में मुकदमा चल जाये तो अदालतें छोड़ दें, दिनदहाड़े ग्रपराध करे, गवाही न मिल वह छट जाये और मुंछ ऐंठकर घमें तथा डर के मारे कोई न बोले वह है माफिया गिरोह । जो इन माफिया के लोगों या गुंडों से पीड़ित हैं, थाने में जाते हैं तो मारकर भगा दिये जाते हैं। नेता उसकी बात नहीं सुनते हैं श्रीर श्रदालतें भी श्रधिकांश में उनको छोड़ देती हैं जब कभी ग्रगर मुकदमा चल भी जाये तो । नतीजा यह होता है कि चारों स्रोर रो न्याय के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। चारों स्रोर से उसके लिए न्याय के दरवाजे बंद हैं तब ं फिर वह क्या करे। ग्रगर उसमें थोड़ी जान है तो फिर खुद ही न्याय के लिए निकलता है ग्रौर तब कट्टा उठाता है श्रीर फिर बदला लेने के लिए निकल जाता है कि फिर वह नक्सलाइट हो जाता है । जैसे बागपत में हम्रा था कि थानेदार का केवल ट्रांसफर करने के लिए हमारे नेता ने कहा था । ट्रांसफर करके जांच करवा लीजिए । नहीं कराई ग्रापने । कोई बागी निकल

गया और उस थानेदार को जो प्रलीगढ़ से बागपत जा रहा था मोटर साइकिल से जा रहा था उसी पर किसी ने उसको खुदा मियां के यहां ट्रांसफर कर दिया। यह स्थिति किसने पैदा की यह श्रापके शासन को एकांगी ढांचा पैदा करता है । यह ढ़ांचा इस कदर खराब है कि कहीं न्याय मिलने की गुंजा-इश नहीं हो पाती है । कभी कभी तो ऐसा होता है कि कि जिस जाति 🔊 श्रपराधी है उसी जाति का थानदार: उसी जाति का सर्किल इंस्पेक्टर जाति का एस० पी० उसी जाति का डी० ग्राई० जी० उसी जाति का ग्र जी० उसी जाति का पुलिस मिनिस्टर कहां जाये वह न्याय के लिए । लेकि^न श्रगर श्रारक्षण करके मान्यवर इन जगहीं पर दूसरे लोगों को भी बैठा दें तो फिर श्रगर थानेदार उसी बिरादरी का होगा तो डिप्टी एस० पी० दूसरी विरादरी का होगा, एस० पी० तीसरी बिरादरी का होगा । म्राई० जी० दूसरी बिरादरी का होगा, पुलिस मिनिस्टर दूसरी बिरा-दरी का होगा तो कहीं न कहीं उसको न्याय मिल जायेगा । यह ग्रारक्षण एक तो राज्य में हिस्सेदारी का हो अगर लोकतंत्र है । केवल 3.35 करोड़ परिवार अब वे बढ़ करके साढ़े तीन करोड़ परिवार हो गये होंगे जो लगभग इस देश की एक चौथाई श्राबादी है, स्राज इसी के साथ में सारी ताकत है। बाकी लोगों के हाथ में कोई ताकत नहीं है।

हरिजनों का स्नारक्षण नौकरियों में श्रापने किया हैं पर 40 वर्षों में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 5 दशमलव कुछ परसेंट अभी हुए हैं। 6 प्रतिशत भी नहीं है। कितने दिनों में देंगे? क्यों नहीं मिलता ? इसलिए नहीं मिलता कि मन नहीं हैं । ग्रगर इच्छाशक्ति होती, तो कोई कारण नहीं है कि उनकी जगह पूरी न होती। लोग ग्रयोग्यता की वात करते हैं शासन में। तो मिनिमम क्वा-लिफिकेशन में बिना पास किये, भी ब्रादमी क्वालिफाई नहीं करता जब तक मिनिमम क्वालिफाइंग परीक्षा पास नहीं करे, कम्पीटीशन की

[श्रीराम नरेण क्यातहा]
परीक्षा पास नहीं करे श्रीर छांटे जाते हैं
नम्बरों से । मान्यवर, श्रगर नम्बर की
बात कहें, तो नम्बर कैसे मिल रहे हैं,
श्रीर फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन
कैसे श्रा रही है, यह न श्रापसे छिपी है,
न हमसे छिपी है बात । तो मा—बाप
परचे लिखते हैं श्रीर वेटा जी पास होते हैं
श्रीर सौ में श्रगर एकाध मेरीटोरियस है,
तो वह भी बेचारे बदनाम है उसी में,
पता नहीं चालता।

तो श्रव उसकी भी बात करना बेमतलव है। तो बिना इच्छाशक्ति के श्रारक्षण
पूरा नहीं होगा और जब तक श्रारक्षण
पूरा नहीं होगा, मान्यवर, तब तक यह
श्रव्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक न्याय
नहीं मिलेगा, गरीबों को मिल ही नहीं
सकता जो आज ढांचा है उसका।

मान्यवर, हमारे समाज में कितनी बुराईयां हैं, इसका कोई लेखा-जोखा है नहीं, किस तरह से ग्रत्याचार हो रहे हैं, इसका कोई लेखा-जोखा हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं क्योंकि यह रपटें-वपटें या म्र/कड़े वíकड़े तो सब किस तरह **बन**ते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन ग्रब दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हमको तो उसे मानना ही होगा। लेकिन क्या सौ वर्ष पहले कहीं किसी थाने में किसी हरिजन पर अत्याचार की रपट होगी? नहीं होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो हरिजन ही नहीं समझता था कि हमारे ऊपर ग्रत्याचार हो रहे थे। वह यह समझता था कि हम इसीलिए पैदा ही हुए हैं, भगवान ने हमको पैदा किया है इसीलिए कि हम इनकी लात, मुंह की खायें यह जो चाहे हमारे साथ व्यवहार करें ग्रीर हम उनके पैर-पकड़ कर चूमते रहें।

दूसरा कि उसको एकदम यह अहसास
नहीं था। यह आजादी के बाद शिक्षा बढ़ने
के बाद यह थोड़ा-थोड़ा अहसास होने
लगा है कि यह हमारे साथ अत्याचार हो
रहा है। जब अत्याचार हो रहा है, तो
वह अत्याचार का मुकाबला करने के लिए
भी खड़ा हो रहा है। तो अब एकतरफा

नहीं हो रहा है। ग्रगर कभी-कभी हरिजन भी जबाब दे देता है, कमजोर वर्ग भी जबाब दे देते है, तो घटनाएं वढ़ेगी। दूसरे लोग उससे घबरा रहे होंगे, घब-राते भी हैं, कहते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, लेकिन मेरे जैसा श्रादमी थोड़ा प्रसन्न भी हो जाता है ग्रौर वह इसलिए की श्रब कमजोर वर्ग भी उठ रहा है, जग रहा है और कहीं-कहीं बदला लेने की कोशिश कर रहा है, मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है और अगर यह मुकाबला करने की शक्ति थोडी श्राप दें दें, तो इस देश से अत्याचार और ग्रनाचार बंद हो सकता है, लेकिन यह कानून से नहीं होगा नीति बनाने से भी नहीं होगा, जब तक कि स्रापकी नीयत ठीक नहीं होगी।

ब्रब हथियारों के बारे में प्रधान मंत्री जी से कहा था, श्राप भी उस समय थे, मान्यवर, शायद प्रधान मंत्री जी बता कर चले गये कि हम यहां से लाइसेंस नहीं देते है । मान्वयर मैंने लाइसेंस देने के लिए ग्रापको फब कहा है ? ग्रापको कहा कि कानून बनाते हैं श्राप कानून बना दीजिए, यह केन्द्रीय कानून है। स्राप ही इसको बदल सकते हैं कि जितना देहात में हथि-यार बन सके, सब फी कर दिया जाए, जो बनाता है, उसको लाइसेंस दे दीजिए ग्रौर जिसको वह देता है, उसको वह दो-चार रुपये में लाईसेंस दे दीजिए और तब देख लीजिए कि कितना मजा श्राता है, कौन जाता है हरिजन बस्ती फंकने ? कौना जाता है कंसारा ग्रौर ग्ररवल में लोगों की सामृहिक हत्या करने ? तब मजा जाएगा । तब डकैती भी नहीं होगी, गुंडई भी नहीं होगी क्योंकि ग्राज तो यह गुंडा, डकैत या भ्रातंकवादी या जो भी है, वह जानते हैं कि किसी के पास हथियार नहीं है , केवल मेरे पास है, जहां चाहूं, जब चहूंा, जिसको चाहूं, मार सकता हूं। लेकिन यह नीयत का प्रश्न है, क्योंकि स्रोप हथियार देते हैं, पता कर लीजिए । श्रापके पास -रिकार्ड भी होगा कि सारे जवर्दस्त लोगों को ही हथियार मिलते हैं श्रीर 90 परसेंट गुडों को मिलते है। स्रापकी पुलिस भी उन्हीं के साथ, ग्रापको दिया हुग्रॉ हथियार उन्हीं के साथ, प्रशासन भी उन्हीं

के साथ ग्रौर सत्ता भी उन्हीं के साथ ग्रौर दूसरी तरफ सब्जी काटने की छूरी भी नहीं। एक तरफ श्राप उनको मार खाने के लिए छोड़ते हैं और दूसरी तरफ इनको मारने के लिए, तो यह कैसे चलेगा? आप-की नीयत साफ नहीं है। ठीक है पंजाब में बहुत गलत काम हो रहा है, उसकी जित-नी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है ग्रौर जितना ही सख्ती से काम लिया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं क्या ग्रर्ज कर सकता हूं कि क्या बिहार में कम हत्याएं हो रहीं हैं? बिहार में 50-50 तक हत्याएं हुई हैं। समूचे बिहार में हो हत्याएं रहो श्चरवल का तो हिमाव ही नहीं 22 तो सरकार ने बताया। देवली में 24 मारे गए थे, साढ्पुर में 10 मारे गए थे ग्रौर कफलता में 15 मारे गए थे। मान्यवर, चुंकि पंजाब में धनी लोग मारे जा रहे बड़े लोग मारे जा रहे हैं ज्यादातर स्रौर गेहं के साथ घन भी पिसता है सलिए गरीब भी मारे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर धनां श्रीर बड़े लोग ही मारे जा रहे हैं। इसलिए सारे ग्रखबार उन्हीं की खबरों से रंगे रहते है । लेकिन विहार में मरने वाले गरीब हैं, हरिजन हैं, पिछड़े वर्ग के हैं भ्रोर ग्रल्प-संख्यक हैं। वे बहुत गरीब लोग हैं, छोटे-लोग हैं इसीलिए ऊपर कोई हो-हल्ला नहीं मचता क्योंकि इनको बड़े लोग मारते है ग्रौर ग्रखबार बड़े लोगों की ही बात करते हैं। लेकिन जो कीड़ेमकौड़ों की तरह समझे जाते हैं हरिजन लोग उनके मरने से क्या होता है? उनकी कोई बात नहीं करता है। यह स्थिति है। तो तब तक स्राप स्रारक्षण नहीं करेंगे ग्रौर उन जगहों पर लोगों को नहीं बिठा-योंगे।जो कि सत्ता से वंचित है, जब तक सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे तब तक कानून का उनके मुताबिक नहीं होगा । मान्यवर, कानून कोई अर्थ नहीं होता, कानून निर्जीव है। जो कानून को लागू करता है कानून उसके मन के मुताबिक अर्थ देता है। आप वहीं बैठे हैं इसलिए श्रापके मन के मताबिक दे रहा है। मैं वहां ग्रा जाऊंगा तो मेरे मन के मुताबिक होगा। वही स्राईपीसी की धाराएं हैं। जब इंदिरा जी गद्दी पर थीं तो हम

लोग रोज जेल जाते थे। हम लोग आ गए तो इंदिरा जी भी जेल चली गई। फिर आप लोग वहा आ गए तो हमको जेल भेज रहे है। (ब्थबधान)

विधि ग्रौर न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०ग्रार० भारद्वाज): ग्राप क्यों झूठ बोल रहे हैं। कोई जेल नहीं जा रहा है। ग्रापने जो इंदिरा जो के साथ किया उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : ग्रापातकाल -में हम रहे हैं 19-19 महीने हम रहे है। लेकिन आज भी नेशलन सैक्योरिटी एक्ट में बहुत लोग बंद हैं। ऐसा थोड़ेक ही है कि नहीं बंद हैं। तो मान्यवर जो कान्न को लागू करता है उसके मन के कानून अर्थ देता है। अगर मताबिक एक ही तरह का मुकदमा है ग्रीर एक ही तरह का ग्रपराध ग्रगर दो ग्रलग-**ग्र**लग व्यक्ति एक क्राह्मण ग्रौर एक जन करता हैं तो वहाँ ^{प्}र यदि व्राह्मण थानेदार है तो वह अ।हमण छट जाएगा स्रोर हरिजन उसी अपराध में फंस जाएगा । क्योंकि थोने दार के मन में यह बसा हुग्रा है कि हरिजन ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है। भ्रगर हरिजन भी ऐसे बोलेगा ग्रौर हरिजन भी मुकाबला करेगा तो वहां उसको न्याय नहीं मिलेगा । स्राज स्रारक्षण की जरूरत इसलिए है कि जरा कानून का भ्रर्थ उन गरीबों के पक्ष में भी लगे। जिस थानेदार के मन में, जिस जज के मन में स्रौर जिस ग्रिधिकारी के मन में यह बैठा हुन्ना है है कि हरिजन भी हमको म्रांख दिखायेगा ग्रौर यह भी हमारी वराबरी कर सकता है तो मान्यवर वह क्या न्याय करेगा यह ग्राप सोच सकते हैं ?इसलिए ग्रगर कानन का अर्थ गरीबों के पक्ष में लगाना है, तो फिर गरीबो का ग्रारक्षण देकर हरिजनों श्रौर पिछड़ों को कुसियों पर बैठाना होगा ग्रौर तभी कानन उनके मन के मुताबिक ग्रर्थ देगा वरना ग्राप रोज चिल्लाया की-जिए, जितने मन करे कानून बनाइये जो मन करे सो करिये ग्रौर ग्राप कहते श्रयोग्यता हैं कि ग्रारक्षण से जाएगी। मैं पूछता हूं यह स्रयोग्यता कहा है भाई? स्राप सर्व कराइये कमीशन बैठा लीजिए और देखिए कि जो लोग ग्रारक्षण

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

से ग्राये हैं वह ज्यादा योग्य है या जो विना ग्रारक्षण के आये हैं वह ज्यादा योग्य हैं? किसने ज्यादा ग्रपराध किए हैं, किसने ज्यादा घूस लो है, किसने ज्यादा गड़बड़ी की है? ग्रव तो मान्वयर, ग्राई०एस०एस० के पर्चे में भी पर्च वदले जा रहे है। पी०सी०एस० में डिप्टी कलेक्टर 50 हजार रुपए में ग्रीर डी०एस०पी० बगैरह 60 हजार रु० में बिहार में बनाए गए है। वया-क्या हो रहा है? उसके बाद भी ग्राप पता नहीं किस-किस तरह के तर्क देते हैं। तो में ग्रापसे निवेदन करूगा कि ग्राप न्याय कीजिए।

मान्वयर, न्याय के लिए न्याय श्रौर हर राज्य में ग्रौर सामाजिक न्याय देने के लिये हो यह श्रारक्षण की व्यवस्था हमारे नेतास्रों ने की थी । स्राज प्रधान मंत्रो जी ने कह दिया गुजरात के स्रान्दोलन के बाद कि राष्ट्रीय ग्राम सहमति ली जाएगी । मान्यवर, मैं श्रापसे जानना चाहता हं कि क्या बिना ग्राम सहनति के ग्रारक्षण का प्रावधान हुम्रा था संविधान में ? हां, एक बात जरूर थी कि जब उस समय हम्रा था तो भ्राजादी की लड़ाई से तपे-तपाये नेता गहियों पर थे ग्रौर ग्रसेम्बली-पालियामेंट में थे। उनको स्रपनी हैसियत से ज्यादा देश की हैसियत प्यारी थी। उन्होंने पहले देश के बारे में सोचा ग्रौर श्राजादी मिलने के बाद श्रपने बारे में सींचा। द्या जादी मिलने दे पहले इन लोगों ने यही यही सोचा था कि जेल मिलेगी लाठी मिलेगी, गोली भिलेगी, फांसी मिलेगी, संपत्ति कुर्क हो जायेगी स्रौर यह सारा मानकर लोगों ने भ्राजादी की लाड़ाई में हिस्सा लिया था । जब वे लोग गहियों पर आ गुये तो सन 1950 तक...(समय की घंटी) थोड़ा सा भौर मान्यवर।

उपसभाध्यक्ष (डा॰ बापू कालदाते): बहुत हो गया।

श्री राम नरेश कुशवाहा : तो सन्
1950 तक अभी उसकी लो बुझी नहीं
थी और उसने श्राम सहमति से पिछड़े
वर्गों के लिए श्रारक्षण का प्रावधान भी
किया और हरिजनों का तो किया ही
संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन मान्य-

वर, ग्रब ग्राम सहमति की बात उठाना कहां तक न्यायसंगत है, जब इतना जातिवाद चल रहा है ? बुद्धिजीवी वर्ग कौन है ? श्रापने हमको तो सिदयों से पढ़ने ही नहीं दिया। शिक्षा पर एकाधिकार स्रापका था, बड़े लोगों का । ग्रब थोड़ा बहुत पढ़ने लगे हैं। उनके बारे में ग्राप क्या सोचते हैं, उनके पास कोई काम धंधे नहीं है. कुछ नौकरी में चले गए जरूर ग्रौर कुछ व्यायार भी करते हैं, नहीं तो कट्टा लेकर घुमते हैं ग्रौर जो दिन भर सोयेगा वह क्या करेगा--या तो बच्चे पैदा करेगा या फिर डकैती डालेगा। तो मेरा स्रापसे नम्र नि-वेदन है कि इस पर ग्राप गौर करें कि इन लोगों से कैसे पिंड छुटेगा। लोगों से पिंड छुड़ाने के लिए एक बात यह है कि श्राम सहमति की बात मत उठाए । स्राम सहमंति में तो स्राप के वकील श्राएंगे, डाक्टर ग्राएंगे, मास्टर जाएंगे ग्रौर ये सब एक वर्ग के हैं, जिनको ग्रारक्षण होने से नुकसान है। इस देश में 67 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। इस-लिए में श्रापसे कहना चाहता हं कि ये जो 67 प्रतिशत या 57 प्रतिशत जो भी हैं, इनसे राय कब ली जाएगी । इनसे म्राप कोई राय नहीं लेंगे ? अगर नहीं लेंगे तो यही पढ़ें लिखे लोग बैठ के चंग-मंग ग्रापस में कह देंगे कि तुम हनको कहो–हां जी और हम तुमको कहेंगे--हां जी, लेकिन हैं दोनों पाजी । जब ये लोग भ्रपनी राय देंगे तो कह देंगे कि म्रारक्षण एकदम खराब है, श्रयोग्यता श्रा जायेगी। तो मैं पूछता हूं अयोग्यता कहा है ? इसके धारे में मैंने स्नापको बता ही दिया है। इसलिए मैं कहुंगा इस देश में एक ही रोग हैं. जो सारे देश में फूट रहा है-चाहे वह श्रासाम का श्रांदोलन हो, चाहे पंजाब का चाहे बिहार का नक्सलाइट हो, चाहे ग्रांघ्र प्रदेश का नक्सलाइट हो, चाहे जंगन पार्टी चाहे चंबल के डकैत हों । अगर श्राप इसकी गहराई में जायेंगे तो श्रापको एक ही रोग श्रौर एक दवा मिलेगी कि जो लोग गद्दी से बाहर है, उनको श्रारक्षण देकर बैठाइये ताकि उनके मन के मुताबिक श्रर्थ लगे ग्रौर जब ग्रर्थ लगने लगेगा तो 3 Р.М. यह हिंसात्मक गतिविधियां ग्रौर अलगाव

वादी प्रवृत्तियां बंद हो जाएंगी । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ग्रल-

(Amendt.) Bill, 1986 330

गाववादी प्रवृत्तियां है वह इसी करण से हैं। ग्राज ग्रापका राज्य केवल दो खम्भों पर खड़ा है राज्य ग्रौर केन्द्र ग्रगर चार खम्भों पर खड़ा कर दे, एक इकाई गांव को बना दें और एक इकाई जिले को बना दें। गांव के लिए जो कानून बना है वह ग्राम सभा बनाए और जो राजस्व गांव का हो वह गांव को दे दीजिए। इसी तरह से जिले लिए। स्टेट से बाहर का जब सवाल ग्राए तो ग्राप बनाएं। स्राप चार खम्भों का राज्य दीजिए तो भ्रलगाव की प्रवित्तयां समाप्त हो जाएंगी। मैं रामकृष्ण हेंगड़े को बधाई देना चाहता हं। उन्हाने चार खम्भों का राज्य टिकाने की व्यवस्था की है, लेकिन संविधान में क्या व्यवस्था होगी यह वह जाने . . .

श्री एच॰ ग्रार॰ भारद्वाज: मुझे मत चिपटाम्रो हंगडे से।

श्री राम नरेश कुशवाहा : जब तक आप ग्राम सभा श्रीर स्वायत्त शासन संस्थाय्रों को पूरी स्वायत्तता संविधान में नहीं देंगे तब तक केवल श्रकले राज्य के बस का नहीं है। इसलिए श्रापको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और अगर देश के रोग चाहते हैं तो ग्रारक्षण भी करना होगा श्रौर चार खम्भों पर इस देश को टिकाना होगा। तभी म्रलगाववादी भौर हिंसक प्रवृत्तियां समाप्त हो सर्केगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जहां कहीं हरिजनों-धादिवासियों का भ्रारक्षण नहीं है वहां उसकी व्यवस्था की जाये। यह विल बहुत निष्पाप है, मासूम है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इन चन्द शब्दों के साथ में विदा लेता हूं।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार): महोदय, में इस बिल का समर्थन करता है। समर्थन करने में यह कहना चाहता हूं कि राजंगम जी ने जो संविधान में संशोधन का ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद् श्रीर नगरपालिकाओं में ग्रारक्षण के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है वह जरूरी है भ्रोर भ्रभी की स्थिति के लिए भ्रावश्यक

है । इन संस्थात्रों में, पंचायतों में, नगर-पालिकाओं में या इस तरह की ग्रौर संस्थाय्रों में स्राखिर स्रारक्षण क्यों होना चाहिए। लोक सभा के चुनाव में श्रारक्षण है, विधान सभाग्रों के चुनाव में आरक्ष**ण** है, लेकिन इन संस्थान्त्रों में आरक्ष**ण** नहीं है। होना तो चाहिए था बहत पहले से ही। जैसे इन दो संस्थाग्रों में है, वैसे ही ग्राम पंचायतों श्रौर नगर पालिकाश्रों में भी ग्रारक्षण होना चाहिए था। हम देहात में स्राते हैं हमें गावों के बारे में कुछ जानकारी है। काफी दिनों से पंचायतों के चनाव इस देश के भ्रन्दर चल रहे हैं, लेकिन देखने को यह मिलता है कि शायद अपवाद जगहों में ही पंचायतों के चुनाव में हरिजन श्रादिवासी जोत पाते हैं। '52 से **मैं** राजनीति में हूं। कुछ क्षेत्रों के बारे में मुझे जानकारी है। वहां शायद एक क्षेत्र में एक हरिजन को ग्राम पंचायत के चुनाव में जीतता पाया । जब दूसरे चुनाव में वह फाइट करने लगा तो जीत नहीं पाया !'

तो इस से जगता है कि हरिजन या म्रादिवासी जो पंचायतों के क्षेत्र हैं उनमें ग्रगर वे खड़े हो तो विजय हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन को आर-क्षण न हो। अगर वे खड़े होने का प्रयास करते हैं--कहीं-कहीं साहस करते हैं तो पंचायत के चुनाव में उन्हें महज ग्रपनी जाति विशेष के ही वोट मिल पाते हैं, दूसरों के वोट पाने में वे ग्रसमर्थ रहते हैं ग्रौर इसलिये चुनावों में उन की हार हो जाती है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में है जिस को हम जनतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं जनतांत्रिक व्यवस्था में समाज के हर समृह का, हर हिस्से का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विधान सभा में हरिजनों ग्रौर ग्रादिवासियों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, लोक सभा में हो जाता है लेकिन ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाश्रों में नहीं होता है।

श्री धरनीधर बासुमतारी (ग्रसम): रिजर्वेशन नहीं है इस लिये नहीं होता है

श्री सूरज प्रसाद : नहीं होता है। उन के भी अपने कुछ स्वार्थ हैं, उन की

श्री सूरज प्रसाद

कुछ मांगें है जिन को उठाना चाहिए पंचायतों में ग्रौर नगरपालिकाग्रों में उन का प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन की मांगें, उन की आवाज पंचायतों या नगरपालिकाम्रों में या इन पर स्राधा-रित हमारे यहां पंचायत समिति श्रौर जिला परिषदें हैं उन में नहीं उठती हैं। सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाये। सामाजिक कानुन, सोशलऐक्ट बहुत तरह के बने हुए हैं। बिहार में पंचायत ऐक्ट में एक प्रावधान है कि जिस के मुताबिक सार्वजनिक जमीन को हरिजन के हाथ में बंदोबस्त होना चाहिए, ग्रादिवासी के हाथ में बंदोबस्त होना चाहिए । तो पंचायत को उसकी सिफारिश करनी चाहिए। दूसरे राज्यों में क्या प्रावधान है में नहीं जानता लेकिन चूकि पंचायत समिति में डामिनेंट है वर्चस्व है कुछ खास लोगों का जो उस गांव में डामिनेट करते हैं इस लिये उन की सिफारिश नहीं हो पाती है और वह जमीन से महरूम हो जाते हैं। कई बार चर्चा हुई हैं इस हाउस में कि हद-बंदी की जो जमीन है उस को कुछ लोगों ने छिपा लिया है। उस को बताने का सवाल है। कौन बतायेगा सरकार कहती है बेनिफिशयरीज का संगठन ग्रगर बने तो उस से कुछ लाभ हो सकता है ग्रौर इस तरह की जो जमीने हैं जो छिपी हुई है उनका पता लगाया जा सकता है। श्रगर ग्राम पंचायतों में ग्रारक्षण हो हरि-जनों का और उस में उन के कुछ लोग रहे तो इस से सरकार को लाभ मिल सकता है। सरकार ने संविधान में दस वर्ष के लिये ग्रारक्षण किया है लोकसभा के लिये और विधान सभा के लिये यह उम्मीद की गयी थी कि उस समय के बाद, दस वर्ष के बाद हिन्दुस्तान का समाज इसरूप का बन जायेगा कि फिर स्रारक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिजन या आदिवासी भी खड़े होंगे श्रीर खड़े हो कर श्रपना स्थान प्राप्त कर लेगें।

लेकिन फिर 10 साल के बाद यह महसूस किया गया कि यह सम्भव नहीं है। जो वर्त्तमान हिन्दू समाज है उसके अन्दर यह सम्भव नहीं है कि वह अपना- ग्रपना प्रतिनिधित्व हासिल कर सकें। इसलिए सरकार को मजबूर हो कर फिर दस वर्ष के बाद ग्रारक्षण करना पड़ा। ग्रभी जो ग्रारक्षण है वह 1990 तक है यानी करीब चार बार सरकार को ग्रार-क्षण के लिए म्राना पड़ा। वयों? सरकार को यह महसूस करना पड़ा कि वर्तमान जो हिन्दू समाज है इस समाज के ग्रंदर हरिजन श्रीर 'श्रादिवासी हैं जो जनरल सीट से, श्राम सीट से अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, सीट जीत नहीं सकते इसलिए मजबूरन चार बार ग्रारक्षण करना पड़ा। हमारी समझ यह है कि 1990 में फिर सरकार संविधान में संशोधन करना पड़ेगा **ग्रारक्षण के** लिए । ग्राजादी के 35-36 वर्ष बाद भी हिन्दू समाज कास्ट पर आधारित है। यह ठीक हैं कि समाजिक जिन्दगी में कास्ट का महत्व बहुत कम हो गया है। सामाजिक जिन्दगी में खान-पान, उठना-बैठना पहले के मकाबले कम हो गया है, गांव की, देहात की जिन्दगी में भी कम हो गया है लेकिन पूरी तरह से मिटा नहीं है। सबसे खराब बात है वह यह है कि भारतीय राजनीति के लिये कास्ट का राजनीतिकरण हो गया है। कास्ट एक पालिटिकल फैक्टरके रूप इस्तेमाल होती है। अगर हम विश्लेषण करें हिन्दुस्तान के असेम्बल ज और पालियामेण्ट के सदस्यों का तो हम यह पाते हैं कि कुछ डामिनेन्ट कास्ट्स हैं, ग्रामतौर पर कुछ ही हैं जिनकी संख्या अधिक ये समाज में ग्रधिक प्रभाव रखती इसलिए वे प्रतिनिधित्व पाती हैं ग्रसेम्बली में श्रौर पालियामें जट में जो माइनर में कास्टम जिनकी संख्या कम प्रातनिधत्व नहीं पाती मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन्हें भी इसका विश्लेषण करना चाहिए। मेरी यह है कि बहुत ही कम माइनर कम्यूनिटी हैं जो हिन्दुश्रों में कम संख्या बाली जातियां हैं। ग्रगर विश्लेषण करें श्रसम्बलीज श्रौर पालियामेंट के सदस्यों का तो पायेंगे कि उनका प्रतिनिधत्व बहुत ही कम होता है। ऐसी स्थिति हमारे **देश** की है। कास्ट पोलिटिकलाइज्ड हो गई है **ग्रौर ऐसी स्थिति में ग्रगर कोई यह** श्रन्दाजा लगाये, यह श्रनुमान लगाये कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में, नगर पालिका के चनाव में जो श्राम सीट्स हैं, जनरल सोट्स हैं उसमें कोई हरिजन या आदि-वासी विजयी हो जायेगा, यह बिल्कुल श्रसम्भव है। हमारी यह समझ है कि संविधान के ग्रंदर इस तरह का संशोधन करना चाहिए ताकि ग्रारक्षण जो ग्रसेम-बलीज और पार्लियामेंट तक सीमिति है इसका ग्रामों की पंचायतों, नगर पालिकाओं तक ले जाया जाए।जनतंत्र की सीमा बढ़ाने की जरूरत है। भ्रगर ऐसा नहीं करते तो जनतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसको अधिक विस्तृत करने की जरूरत है सौर अधिक दूर तक ले जाने की जरूरत है ताकि समाज का हर हिस्सा इस देश में ग्रपना प्रतिनिधित्व पा सकें।

एक बात और कह कर मैं अपनी वात समाप्त कहंगा। एक प्रश्न श्रीर उठने लगा है ग्रीर वह यह है कि राज्य सभा में ग्रौर राज्य विधान परिषदों में भी श्रारक्षण होना चाहिये या नहीं । विधान परिषद में तथा राज्य सभा में ग्रारक्षण नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि स्रगर स्रारक्षण की बात है तो जाहिए है कि इस पर शायद कांग्रेस (आई) के सेकेटरी श्री राम धन ने इस्तीफा दे दिया (ब्यव-धान)

श्री एच० आर० भारद्राज: कांग्रेस में हैं .स्रादिवासी स्रौर हरिजन दूसरी पार्टीज कहां लाती है (व्यवधान)

श्री संत्यं प्रकाश मालवीय : उत्तर प्रदेग: में विधान सभा के डिप्टी स्पीकर श्री तिलोक चन्द हैं तथा विहार में श्री शिवनन्दन पासवान हैं, दोनों हरिजन हैं श्रीर लोकदल के हैं (व्यवधान)

श्री सूरज प्रसाद : यह तो ग्रापकी उदारता हुई, यह उनको को हक नहीं हुम्राहै। यह ग्रापने दे दिया है ग्रौर कुछ लोग ऐसे अनुदार हैं जो दे नहीं पाते हैं। में चाहता हूं कि अगर आरक्षण हो जाएंगा तो ग्रापकी उदारता की उन्हें कोई जरुरत नहीं पड़ेगी। अपना हक वे हासिल कर लेगें। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सभा ग्रीर विधान परिषद में भी इसी तरह का आरक्षण देने की जरुरत है उनके लिए आप भी सीटें रिजर्व करें ताकि समाज का वह हिस्सा भी

1,

सही मायने में ग्रपना प्रतिनिधित्व दे सके। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि वह संविधान में जो इस तरह के संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसको स्वीकार करेंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondecherry): Thank you for giving me opportunity to speak on the Private Members Bill presented by Shri N. Rajangam. In this proposed amendment, the hon. Member wants that the seats should be: reserved for the Scheduled Castes Scheduled Tribes in a Panchayat or localboard, Taluka Board, town and municipal council and metropolitan councils.

Under Article 330 of the Constitution. seats have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the delimitation for the House of the People. Under Article 332 seats have been reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies. Third limb of the democratic system is the municipal councils, metropolitan councils and also the village panchayats. Right from the days of our great father of the Nation, Gandhiji, three-tier systemin administration has been favoured. Our present Prime Minister is also very much particular that in all the States local polls have to be conducted. I am very happy to note that in Maharashtra, Guarat and also in Andhra Pradesh seats have been reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes even in the local boards. Even in Himachal Pradesh this reservation has been allowed. Simply because subject has been listed in the Schedule II i.e. in the State List, it has not been uniform in all the States. Here I would like to narrate the history of the Madras State. The Government passed a Bill reserving the seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the 'ocal bodies. The persons aggrieved by that varticular Bill moved the High Court. They obtained stay at the crucial moment when the local polls had to be held. They lost in the

[Shri V. Narayanasamy]

High Court. Then they went to the Supreme Court. Now the matter is pending before the Supreme Court for consideration. In the State of Himacual Pradesh also, the case is pending before the court. In some States where reservations have been given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the local Boards, some vested interests who wanted to exploit the Scheduled Castes and downtrodden people went to court and the entire system has been penalised.

Under article 46 of the Constitution, we have given protection to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This article says that the States shall promote with special care the educational economic interests of the weaker sections of the people and in particular the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice in all forms of exploitation. Therefore it is very clear that even the powers have been given to the State Govreninents to protect the interests of the minorities, Scheduled Castes and Scheduled It is also duty of the Central Government to bring uniform law throughout country. In a particular State, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are enjoying the benefits of reservations, but in other States they are not. Therefore, it is very pertinent that the hon. Member has brought this amendment, which is very vital. For the same reason, our Government is also giving emphasis for the development of Scheduled Castes Scheduled Trib's.

[The Vide-Chairman (Shri M. P. Kau-shik) in the Chair]

It is the duty of the Central Government to see that there is a uniform law promulgated throughout the country. The hon. Minister may also say that it is covered by the State List under the Seventh Schedule as item No. 5 and, herefore, we are not concerned with that.

Sir, I would like to submit to the hon. Minister that under article 365 when there is a need for having uniform procedure and law throughout the country to protect the people who are downtrolden, who are to be brought to the limelight, who

should be given protection, the Central Government can invoke this provision for the purpose of bringing items listed in Second Schedule either in Concurrent List or in the Union List. Ultimately there is another clause which has to be approved by the State Legislature. My submission is that most of the State Governments are willing to implement this provision for giving the benefits to the scheduled Castes and Scheduled Tribes in the case of reservation.

After the independence, we find the reservations which have been given by the Central Government for the parliamentary constituency, that is, House of the People and also to the Legislative Assembly we find in most of the States, even the Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not have dreamt of that some of the persons who have been elected to the Legislative Assembly and to the Parliament are in power and some of them have become Ministers. I think there are about 20 per cent of the persons elected in the Legislative Assemblies.

Sir, now-a-days we find one community is trying to uplift the ineterest of community alone. Though we talk of national integration, we find that interest is taken only by that community for their community persons. That being the case, I think, the trend has to be changed. For that I also agree with the hon. Minister that the national integration should be the primary objective. For the purpose of giving those benefits as guaranteed by our Constitution, my submission is that the Central Government should come forward and protect the interest of those persons who have been kept as a downtrodden people for years together.

Sir, as I have already submitted, according to the Constitutional provision, the State Government has to take steps

338

for having the local bodies in their respective States and it should not be closed for years together. But we are much pained to see that even after 10 to 15 years, local body elections have not been held in several States. It is a painful affair, because the local body alone will go to the village, will take care of the water supply, electricity, sanitation, housing facilities and all these basic amenities which are required for the people of that particular village, particular town and also particular district. We know that the elected members of the Legislative Assembly, with due respect to them have lot of work and they may not meet all the demands of the people. Therefore, I urge upon the Law Minister to see that local polls are held in all the States without any reservation. All the Governments are trying to take this excuse that law and order problem will be there and that it is not conducive for them to hold election, I would urge upon the Law Minister to see that for the local bodies elections have to be held throughout the country, in all the States so that the fruits of the Government policy of implementing the 20 point programme would be enjoyed by the rural population and also the funds goes to the rural popula on will spent properly.

Then coming to reservation, I would like to submit that the Central Government, without saying that it is covered by the State list should come forward and commit that it is a very important provision. Because they are giving reservation for Jats, they are giving reservation for barbers, they are givino reservation for Parliament and they are giving reservation for the State Accemblies; the same analogy has to be applied even for the local posts which is also a vital organ in democracy. I would further urge upon the Law Minister to see that purchayat system that is Nyaya Panchayat, which was very successful in disposing off cases in the olden days and also in some States which has been brought into force, which are doing system may be introduced so that pendency in the courts may be minimised. I would like to inform the hon. Minister

that for the development of the State and also for lessening the burden of the States on the Central Government, the local bodies have to be held and the reservation, which is sought for by the hon. members for the purpose of giving benefits to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons in the local may be considered.

With these words, I Sir. conclude Thank you,

डा.बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उप-सभाध्यक्षण महोदय, मैं इस सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन दो-तीन बनियादी बातों पर माननीय कानन मंत्री जी का ध्यान इस स्रोर खींचना चाहता हूं कि चर्चा के दौरान जो भी प्रश्न उपस्थिति हुए हैं , उनमें से कुछ प्रश्नों का जवाब स्रगर स्राज ही मिल जाए, तो शायद इस देश में जिस ढंग का वातावरण हम तैयार करना चाहते हैं, उनमें हम लोगों को सहलियत ही होगी

पहले तो श्री राम नरेण कूशवाहा जी ने जिस चौखम्बी राज्यों की व्यवस्था की बात की, उसमें से जो मझे-राजंगम जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें से से बड़ी बात मुझे यह लगी कि हम लोगों ने तो ऊपर की दो मंजिलों की व्यवस्था कर रखी है, चौखम्बी की जो मंजिलें कहिए, तो दो खम्बे या दो मंजिलें तैयार हो गई, विधान सभा श्रौर लोक सभा की हद तक, लेकिन सही ब्नियाद श्रगर इस देश को ग्राम व्यवस्था है, हमारी पंचायत है, हमारी जिला परि-षदें हैं, तो यह बात तो सही माने में वहां से शुरू होनी चाहिए थी हफ हरेक ग्राम पंचायत के जैसा कि गगरीबों के लिए या जो पीडित लोग हैं या शोषित या जो दबे हुए लोग हैं या जो समाज के कुछ पारंपारिक सिद्धांतों चेके कारण धृणित भी कहा जा सकता है, ऐसे लोग की जैसे भी कुछ व्यवस्था है, बहुत तो नहीं है कुछ व्यवस्था हम कर पायें हैं, वैसी शुरू से इन ग्राम पंचायतों के जरिए होनी चाहिए थी। थे महराष्ट्र से स्राता हं जब यह विधेयक मैंने देखा, तो मझे खद को ग्राश्चर्य लगा कि क्या भाज

[डा॰ बापू कालदाते]

भी इस देश में कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में श्रारक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह सुन कर ही मुझे श्राश्चर्य लगा, लेकिन उनके विधेयक से मालूम होता है, श्राप भी जानते हैं कि यहां श्रारक्षण की व्यवस्था नहीं है।

तो मेरी पहली मांग श्रापसे रहेगी कि क्या हम इस बात को जो संबैधानिक प्रावधान की हमारी बहस है राज्य सभा श्रीर लोक सभा के लिए, उसमें ग्रसित करें और भले ही चुनाव की स्रावश्यक प्रक्रिया राज्यों के हाथ में हैं, लेकिन जहां तक ग्रारक्षण का सवाल है, ग्रारक्षण उनके लिए भी बाध्य हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हम संविधान में कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं भ्रापसे कुछ जानना जरूर चाहूंगा । दूसरी बात, हमारी राय और हम इस बात में स्पष्ट हैं कि भ्रब तक इस देश में ग्रस्पृश्यता रहेगी जब तक इस देश में ग्रारक्षण चलेगा, भले ही कोई लोग इसको टालने का प्रयास करें। में श्रापको यह कह देता हूं कि जिस इलाके से मैं म्राता हूं वहां विद्यापीठ का नाम बदलने का सवाल ग्रा गया था महाराष्ट्र में ग्रौर जिस गांव में मैं रहता हूं वहां के विद्या-पीठ का नाम बाबा साहब श्रंबेदकर का रखें यह प्रस्ताव भी दोनों विधान सभा भ्रौर विधि मंडल ने पारित किया । लेकिन सिर्फ नाम बदलने का सवाल ग्रा गया तो हमारे इलाके में इतना बड़ा संघर्ष चला लोग मारे गए, हरिजनों के घर उजाड़े गए। हम जैसे लोग थोड़े समर्थनकारी थे, उनको वहां रहना मुश्किल कर दिया गया। क्यों किया ऐसा? तो यह श्रहंकार की बात है। जब नीचे से समाज ऊपर आने का प्रयास करता है नीचे से लोग ऊपर म्राने का प्रयास करते हैं तो उच्च वर्णीय लोगों को यह लगता है कि ये हमारे साथ ग्रायेंगे जिनको ग्राज तक हमने दबाकर रखा है, ग्रौर यह जरूर चलेगा। जो समाज कई सालों से, सदियों से सहस्र वर्षो से नीचे दबा हुग्रा है उनकी म्राकांक्षाएं तो म्राजादी के कारण जरूर बढ़ेंगी ग्रौर वे जरूर चाहेंगे कि वे भी इस देश में समान नागरिक हैं, वे कोई

निम्न दर्जे के, निम्न श्रेणी के नागरिक नहीं हैं । तो यह जो उनकी बढ़ती हुई श्राकांक्षा है समाज में समान बतने की, इस देश के सही प्रवाह में म्राने की कि हम भी एक सशक्त घटक के रूप में चले जाएं यह भावना ग्रौर ग्राकांक्षा उच्च वर्णीय लोगों के ग्रहंकार को धक्का पहुंचाती है। इसके लिए उच्चवर्णीय लोगों का यह प्रयास चल रहा है किसी न किसी बहाने, कोई भी बहाना निकाला जाए जैसे बाबा साहब ग्रम्बेदकर नाम देने का बहाना निकाला जाए या जैसे किसी देहात में जहां सब की गायें चराई के लिए जाती हैं वहां हमारे हरिजन भाई भ्रगर भ्रपनी गाय ले जाए तो उसका बहाना निकालो, कोई कुए पर पानी भरने का बहाना निकालें, कोई भी वहाना निकालें, लेकिन यह जो नीचे वर्ण के लोग जो म्राज समानता का प्रयास कर रहे हैं उनको दबाने का प्रयास बहुत जोर से इस देश में चला है, जिसका जिक श्रभी क्शवाहा जी ने किया। मैं कहता हुं इसमें यही बात है क्यों उनकी तरफ गए हैं, क्यों उनसे मार-पीट कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी श्रावाज दबाई जाए। इसलिए यह अति आवश्यक हो गया है कि उनकी आवाज कहीं न कहीं से आपके पास ग्रा जाए सत्ता में, प्रशासन में ग्रौर सारे देश की विकास प्रक्रिया में एक गरीब ग्रादमी भी ग्रपनी शक्ति प्रदान कर सके। यह अति आवश्यक है ऐसा मैं मानता हं। इसके लिए मैं एक ग्रौर भी म्रर्ज करता हूं कि जो म्रारक्षण है जब गुजरात में यह बात कही उन्होंने कि जब झगड़े होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर तो प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि सब लोगों के साथ ग्राम सहमति के लिए बात होनी चाहिए। मैं ग्रापसे पूछना चाहता हूं कि क्या झगड़ा होने के बाद ही ग्राप कहते रहे मैं भ्रापसे पूछना चाहता हूं कि क्या झगड़ा होने के बाद ही ग्राप कहते रहे क्या हो गया उस ग्राम सहमति का, कितनी बातें हो गईं, किन लोगों से श्रापने बात की इस देश में श्रारक्षण की व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए, यह बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं । समाज पर दबाव स्नाता

रहेगा जो घोषण करने वाले हैं वे जरूर चाह रहे हैं कि इनको ग्रागे नहीं ग्राने देना चाहिए। ये सीटों के ग्रारक्षण की बात करते हैं। ग्रभी यूनिवर्सिटी में ग्रारक्षण की बात मैं ग्रापका कहता हूं मैंने एक दफा कहा भी है कि यह बात सही नहीं है जो दलित समाज के लोग होते हैं उनको कम मार्क्स मिलते हैं ग्रीर उनको मैडिकल की सीटें कम मिलती हैं। ग्रीरगाबाद जहां से मैं ग्राता हूं वहां The minimum for a Scheduled Caste candidate to get admission in the medical college is 27. What merit do you want?

महाराष्ट्र में भी जो प्राइवेट मैडिकल कालेज शुरू किए इसमें कहा है तो वहां तो होगा ही जिसके पास धन है उनके लिए ग्रारक्षण की व्यवस्था इस देश में चल सकती है। सारे गुण कांचन में **ब्राध्रित रहते हैं। जिनके पास धन है,** जिनके पास उच्च शिक्षा या पारिवारिक संपर्क या समृद्धि है उनके लिए तो भ्रारक्षण व्यवस्था है । इसके खिलाफ कोई नहीं बोला है ग्रौर न ग्रांदोलन हुग्रा है । हमने थोड़ा-बहुत महाराब्द्र में किया तो हम लोगों को एक-दो बार जेल में भेजकर छोड़ दिया ग्रौर कहा कि यह तो चलेगा। हमारे जो मैडिकल कालेज थे यह देहाती लोगों के लिए हैं देहातियों में क्या दलित नहीं स्राते, देहातियों में क्या ग्रस्पुश्य लोग नहीं ग्राते उनका कहा है? उनके आरक्षण के खिलाफ बड़ी बात हो गई। धनी लोगों का स्नारक्षण कई जगह है, सिफं शिक्षा में ही नहीं कई जगह पर है। धनी लोगों का श्रारक्षण शिक्षा में है इसके कारण धनी लोगों का आरक्षण आपके प्रशासन में है ग्रौर इसी का प्रभाव ग्राज राजनीति में भी पड़ रहा है कि धनी लोगों का ग्रारक्षण श्रापके लोक सभा में **ब**गैर संबैधानिक प्रावधान के भी हो रहा है। यही बात मैं स्रापको कहना चाहता हुं। इसके िलिए ग्रगर ग्राम-सहमति करनी है तो ग्राम-सहमति की बुनियाद ही यह होगी कि जब तक ग्रस्पृश्यता रहेगी, तब तक ग्रारक्षण चलता रहेगा ग्रौर वह ग्रारक्षण ज्यादा ग्रच्छा रहेगा, जिसमें सब लोगों की राय हो, सारा समाज जिसमें ग्राये।

इसमें सबको लाने के लिये यह ग्रत्यावश्यक है कि यह ग्राम-सहमित की प्रक्रिया के लिए शन्दों की नहीं बल्कि काम चलाने की जरूरत है।

श्राखिर में, मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले कहा था कि जो कुछ भी भोडनाईजेशन, कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके बारे में मिस्टर श्री निवासन नाम के एक समाजशास्त्री हैं, देश के बड़े उच्चतम समाजशास्त्री हैं, उन्होंने वड़े श्रद्धे ढंग से कहा है —

This modernisation will only affect the behaviour pattern of the society.

जो पहले ग्रस्पृथ्य थे, समझ सकते थे कि यह अन्पृथ्य है नर्गोक्ष उसका रहन-सहन, खान-पान और वर्तन ग्रलग-ग्रलग थे। Behaviour pattern may be common to the society.

हम जो कपड़ा पहनेंगे, वही दलित लोग पहनेंगे शायद । हम जिस ढंग से रहन-सहन करेंगे वह भी करेंगे शायद ।

"But this communication will also lead to intensifying the identification with the caste."

यह सबसे ब्री बात श्राज चल रही है मैं जानता हूं कि यह ट्रेडीशनल है। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, समाजशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन हम सब समाज में काम करने वाले लोग हैं....

Identification of the caste is increasing very much and we are also to a certain extent helping it.

राजनीतिक दल भी उनकी कुछ हद तक मदद करते हैं। यह राजनीतिक दलों को वहां से कैंसे निकाला जाए, यह प्रलग बात है। लेकिन इस प्रक्रिया को हम शुरू करें ग्रीर उसको फोर्स करें कि जहां-जहां समाज में कहीं कोई चुनाव की प्रक्रिया हो, लाग हो। महाराष्ट्र में इतना ही नहीं वहां कोपरेटिव में भो रिजर्वेशन रखा गया है। ऐसी ही व्यवस्था जहां-जहां चुनाव की प्रक्रिया हो, वहां-वहां दिलतों के लिए भी, पिछड़े हुए समाज

[डा० बापू बालदाते]

के लिये भी ग्रारक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ग्रार इस दृष्टि से राजगम जी ने जो प्रस्ताव यहां लाया है, उसका स्ट्रोंगली तहेदिल से मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मैं ग्रापसे यह प्रार्थना करता ह कि मंत्री महोदय, ग्राप भी इस दिशा में सक्षम बनाने के लिए, सही मायनों में एक नया समाज बनाने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राप भी क्या कदम उठाएंगे, यह जानने के लिए मैं बड़ा ग्रातुर हं। धन्यवाद।

SHRI H. R. BHARDWAJ: I seek the permission of the chair and the mover of the resolution to give part my reply in Hindi because most of the speakers today spoke in Hindi, and then I would speak in English for the benefit of the honourable mover so that would not have any problem.

श्रीमान् जी, जितने भी ग्रादरणीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोले हैं, यदि मैं ग्रापको उन सबके नाम पढकर सुनाऊं तो एक बात स्पष्ट है कि जितनी भी जाति करीब-करीब हमारे देश में हैं, उन सभी जातियों से हमारे माननीय सदस्य बोले हैं श्रौर सबकी एक ही भावना है कि इस देश में शेड्यूल्ड-कास्टस ग्रौर शेड्यूल्ड-ट्राइब्ज ग्रौर दूसरे पिछड़े वर्ग के जितने हमारे समाज में लोग रहते हैं, उनके लिए देश की राजनीति में, देश के म्राधिक उत्थान में ग्रीर देश की दूसरी एक्टिवटीज में उनका पूरा भाग होना चाहिए । इस बात को किसने मना किया है ? ग्राप हमारा कंस्टीट्यूशन देखिये । स्वयं ग्रम्बेडकर जी की यह रचना है ग्रौर हम सब इस बात को मानते हैं कि उनसे बड़ा विद्वान इस क्षेत्र में भभी भारतवर्ष में होने वाला नहीं है श्रीर न हुआ है। हम सब उनको मानते हैं कि वे ज्ञाता थे ग्रीर यदि इसका अध्यपन किया जाय तो श्राप देखेंगे, उन्होंने लोक सभा में श्रौर विधान सभाश्रों में शारक्षण दिया । यह कंस्टीट्यूशन के लिहाज से प्रिफरेन्सल ट्रीटमेण्ट दूसरे देशों में माना जाता है। लेकिन हम जो भारशवासी हैं, हम इस बात पर गौरव

श्रन्भव करते हैं, यह प्रिफरेंसल ट्रीटमेन्ट नहीं है, यह उस भाग्य की बिडंबना है, जिसने सैकडों साल भारतवर्ष में इस पिछ्को वर्ग को पिछड़ा रखा है। श्रीर यह हमारे समाज की देन है। इसके लिए कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। मैं इस देश के नेताग्रीं को धन्यशाद देना चाहता हूं जिन्होंने श्रन्भव किया ग्रौर जब भारत ग्रीजाद हुग्रा ती इस बात का सबसे पहले प्रयत्न किया कि जहां अन्याय हुआ है उसे दूर किया जाय श्रौर उसे रिजर्वेशन के जेरिए दूर किया जाय । देश के नेताग्रों ने जी दिया उसवा रिजल्ट मैं बताऊं। ग्राज भारतवर्ष में 522 लोक सभा की सीटों में शेड्युल्ड कास्ट 79 ग्रौर शेड्यूल्ड ट्राइव 40 हैं, कुल मिलाकर 119 सदस्य हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि ये इतने लोग लोक सभा में चुनकर स्राते हैं। हमारे नेतास्रों ने जो वादा किया था। पिछडे वर्ग से उसको पूरा किया है, उनको पूरा हिस्सा दिया हैं। 119 हैं, ज्यादा श्राने चाहिए। मैं समझता हूं कि सब दलों को कुर्बानी देनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि सब दलों में गस बात का पूरा ध्यान रखा जाय। मैं खद राज्य सभा में हूं, हम चार थे, उनमें एक शेड्युल्ड कास्ट का भी था, शेड्युरुड ट्राइब का भी था। यह राज्य सभा के सदस्यों की बात है। सब दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए। विश्वास है कि जो बापू का सपना था, जवाहरलाल जी, राजेग्द्र प्रसाद मौलाना श्राजाद ग्रौर ग्रम्बेडकर साहव का सपना था वह साकार होगा। हरिजनों के हक में रिजर्वेशन हो, मैं जाती तौर पर इसके हक में हूं। श्रनटचेविलिटी हमारे लिए स**बसे व**ड़ा कलंक है। जिसके मन में जरा भी दया है ग्रौर धर्म का निवास है वह इस बात को नहीं मानेगा विः इनसान ग्रौर इनसान में भेदभाव किया जाय । मैं पुराने दरया-गंज में हरिजन बस्ती में 15 साल रहा हूं। मैं ख़द ब्राह्मण हं, लेकिन हरिजनों में रिक्तेदारी है। मैं संमझता हूं कि हम श्रपने कलंक को श्रव भी मिटा सकें तो बहत भाग्यशाली होंगे।

श्राज यह देश जागृत है। स्टेट

345

श्रसेम्बलीज में 3997 में से शेड्यूल्ड कास्ट 557 ग्रौर शेड्यूल्ड ट्राइब के 315 सदस्य, 872 के करीब होते हैं। लोक सभा ग्रौर विधान सभाग्रों में जो रिजर्वे-शन होना चाहिए वह दिया। मैं इस बात को मानता हं कि देश में लोक सभा-विधान सभाएं केपिटल में काम करती हैं श्रौर जनसंधारण की बातों को ज्यादा तय नहीं कर पातीं जैसे कि ग्राम पंचायत या जिला परिषद् कर सकती हैं। लेकिन, जैसाकि ग्राप जानते हैं, पुराने महारथी लोग हैं, इस देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने दिया वेस्टेड इन्टरेस्ट ने । मुझे याद है जब हमारा कांस्टीट्यूशन बना तो कुछ साल इस पर काम नहीं हुआ, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स की बात ग्राई कि स्टेंट में जायगा । वाद-विवाद होता रहा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर । फिर यह हुआ कि एन्ट्री 5 में है लिस्ट 2 में, स्टेट करेगी। मैंने पूरा अध्ययन किया। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा इस बात में बराबर दिलचस्पी रखी जिसके भ्राधार पर श्री-टायर सिस्टम बनाया गया--म्रान्ध्र, राजस्थान पहले राज्य थे जिन्होंने पंचायती राज का किंगा । महाराष्ट्र ग्रौर गुजरात ट्-टायर सिस्टम ग्राया । उसके बाद पंचायत सिस्टम का गठन हुन्ना

लेकिन जैसा अभी कहा गया वहां पर भी लैंड लार्डस, मनीलेंडर्स ग्रौर माफिया घ्स गये ग्रौर ग्राज मैं देखता हूं कि वह सिस्टम करीब करीब किपिल्ड हो गया है। तो धारणा तो यह थो कि गांव का हरिजन ग्रौर गरीब उसमें पार्टिसिपेट करेगा । वह भी श्रपनी गर्देन ऊंची कर के बराबर में बैठेगा ऊंची कास्ट के साथ । मैं समझता हूं कि सारे कास्ट वाले बोल चुके हैं, लेकिन अगर हम दिल से इस बात को अबूल करते हैं कि उन को बराबरी में म्राना चाहिए तो उनको घर में हम को बराबर में बैठाना चाहिए। यह टीस हमारे दिल में हो तो यह चीज जागृत होनी चाहिए। मैं अपने भ्राप को म्राप के साथ एसोशियेट करता हुं भ्रौर मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा फेरता हुं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह सवाल उठाया लेकिन सर्वाल यह है कि हम को समाज बदलना है। कीन

समाज को बदल सकता है। जब तक उसको सही तौर पर ग्रादमी नहीं बदलता समाज को न गवर्नमेंट बदल सकती है ग्रौर न कानून ही बदल सकता है। भारत के लोग ही यहां के समाज को बदल सकते हैं ग्रौर वह तभी हो सकता है कि जब समाज के ग्रन्दर इसके लिये श्रांदोलन हो । हमारे नेताश्रों ने उनको रिजर्वेशन दिया । टेकिन म्राज रिजर्वेशन किन के लिये लोग मांग रहे हैं। ग्राज कर्नाटक में लिंगायत्स के लिये रिजर्वेशन मांगा जा रहा है। आज ऊंची कास्ट वाले रिजर्वेशन मांग रहे हैं देश में। (व्यवधान) श्राप के काम की बात कर रहा हूं ग्रौर इसी लिये मैं हिन्दी में बोल रही हूं। में समझता हूं कि कुशवाहा हरिजन भी होते हैं।

Govt. Business

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: ग्रापको डाउट क्यों हो रहा है।

श्री एच०ग्रार० भारद्वाजः नहीं, ऐसा नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम०पी० कौशिक्): क्शवाहा राजपूत भी होते हैं ।

श्री एच. ग्रार. भारद्वाज : राजपूत भी होते हैं, जाट भी होते हैं, श्रौर हरिजन भी होते हैं। मैंने गांव में देखा हैं। पहले उनको जुबान खोलने **का**ं ब्रिधिकार नहीं था। यह तो हमारे म**हान**े नेता थे जिन्होंने उनको जुबान दी । **ग्रौर** मैंने खुद देखा है उनको जानवरों की तरह से ट्रीट किया जाता था।उन की महिलाग्रों को कोड़े से पीटा जाता था। लेकिन मुझे फछा है इस बात की कि वह स्थिति ग्राज देश में नहीं रही है। स्राज यह जुबान खोल रहे हैं। पालियामेंट में उनसे 120 सदस्य लोक सभा में हैं। यहां भी होंगे। स्राज वे बोल सकते हैं ग्रौर ग्रपनी बात कह सकते हैं। तो प्रजातंत्र ने उनको जुबान तो दीः **ग्रब ग्राधिक** भवाल है उसको देखना है। ग्रगर सारे दल मिल जायें। ग्रौर सारे दल मिल बार ग्रौर सारी पोलिटिकल पार्टीज मिल कर सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि जैसे पहले इस बात पर एक मत

[श्राहंसराज भारद्वाज]

्हों कर हम बोलते रहे हैं श्रौर सोचते रहे हैं, इसका भी हल निकल सकता है। हमारे प्रधान मंत्री ने जो सवाल किया है वह यही है श्रौर उन्होंने कहा है कि नेशनल महलों पर हम को एक मत होना चाहिए। यह देश तो सब का है।

It is the responsibility of the whole nation. Everybody is equally responsible. Opposition does not mean that it should always oppose. You have to propose also responsibility lies. This is not the way that you represent one constituency and so, you will be working for that constituency. We must do work for the entire country once we are in Parliament. This is the spirit which you should show on national issues and on national issues, in many areas, we all have voted together. So,

आज के मप्तले पर में इस बात का स्वागत करता हं कि हरिजनों का हमारे दोस्त ने उठाया और **गया वि**! जहां तक पालियामेंट बात है, लोक सभा श्रौर विधान सभाग्रों ंमें रिजर्वेशन है। ग्रब सवाल है कि लोकल बाडीज में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हम ने कारपोरेशन से गिनती मंगायी है ग्रौर मैंने देखा है कि कौंसिलर्स भारत में काफी तादाद में हैं जो हरिजन हैं। वह ग्रहमदाबाद में 13, बड़ौदा में 4, बेलगाम में 3, बम्बई में 5, कालीकट में 2, कोचेन में 2, दिल्ली में 16 श्रीर मद्रास में 15 हैं श्रीर वे इस तरह करीब-करीब सारे ही कारपोरेशन्स में चुन कर स्राये हैं। कम स्राये है। ज्यादा आने चाहिए। किस तरह आने चाहिए यह पोलिकिटल पार्टीज को तय करना है। भ्रगः उनकी विल होगी तो स्रायेंगे। तो मैं इस गात का स्वागत करता हं कि हर जगह हरिजन लायें जायें ग्रौर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लाये जायें। कम से कम उनकी संख्या जितनी है उसके स्राधार पर ही लाये जाये तो कुछ जस्टिफिकेशन ंहो सकता है। **अब सवाल है** कि रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो। इस भात की जानकारी प्राप्त ंकरने की कोशिश की है । में रिजर्वेशन का प्रोविजन

Four persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if no such person is elected.

तो इन्होने धस वात की तरफ ध्यान दिया है कि भ्रगर वह जीत कर नहीं श्रायें तो कम से कम चार श्रादमी उस पंचायत समिति में जरूर होने चाहिए। उसके बाद भेरल में भी नामिनेशन का, एक सीट का प्रावधान स्रपने यहां पंचायत में किया है। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। उड़ीसा में भी पापूलेशन के लिहाज से उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। पंजाब में भी चार ग्रादिमयों का प्रावधान है स्रगर कोई जीत कर नहीं स्राता 🗗 महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। सब जगह करीब-करीब है। यूपी में भी है । मुझे शारी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जब पहली बार यह पेश हुग्रा था तब मैंने इस जानकारी को की कोशिश की थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है श्रौर इस पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए इसलिए मैंने कोशिश की थी। लेकिन मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुम्रा कि यह जो लोकल सेल्फ गर्वनमेंट बाड़ी है, पंचायतें हैं, जिला-परिषदे हैं ये करीब-करीब ठप्प हो चुकी हैं इनको झकझोरना है। ग्राज की जो बहस हुई काफी हम को मदद मिलेगी कि हम इस को झकझोरें। ग्रभी बापू कालदाते जी बोल रहे थे । उन्होंने बताया था कि 1977 में अशोक महता कमेटी का गठन हुम्रा था। उन्होंने इस तमाम ढांचे को देखा नेकिन उसके बाद यह फिर ठप्प हो गया । उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई। अब यह रेजोल्शन हमारे सामने भ्राया तो मैंने इसका बहुत ग्रध्ययन किशा । मैं ग्रापकों विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी हमारे पास कंस्टीट्युशन के तहत ताकत जितनी हमारे पास लेजिसलेटिव कम्पीटेंसी है मिनिस्टर की हैसिय्त से, मैं **इसको** करूंगा। मैं इस बात से सहमत हं कि चौखम्भा राज जिसको स्राप कहते हैं That is percolating of democracy down

to the grassroots, इन्कार नहीं कर सकता

था। प्रौडेक्शन के काम में हम दोनों मिल

कर काम करते थे। एग्रीकल्चरल प्रोहेक्शन में हम सब मिल कर काम करते थे। कोई खेत जीतता था कोई बीज डालता था. कोई पानी देता था। कोई पशु पालता था। मैंने उतकी लाइफ देखी है। मैं वहां पला हं हरिजन को हम और हरिजन हमारेको बराबर का कंटरीब्यूणन देते हैं लेकिन

म्राज वह स्थिति नहीं है।

उस चंज को भी देखना है कि एक बार ग्रगर कोई फेमली उस स्तर से ऊंची उठ जाती है और दूसरी फेमली को फायदा हो सकता है तो उसको भी हम लोगों को देखना चाहिये। पंचायतों ग्रौर जिला परिषदों ग्रौर न्लाक समितियों में हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए पार्टीक्षिपेशन ज्यादा होना चःहिये क्योंकि उनके मसले तो वहीं पर ज्यादा है। उनको जमीन मिल जाए मकान मिल जाएं बहत काम हुआ है यह बात नहीं है कि नहीं हुम्रा है लेकिन समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि एक या दो प्रयत्न स समस्याएं इल नहीं होंगी हमें खुद इस पंचायती राज को कायम करने में बड़ी भारी कठिनाई हुई है। कोई नहीं कह सकदा है कि जो श्राइडियल महात्मा गांधी जी का सवना या श्रीर जयप्रकाश नारायण ने जिस चीज को कहा था वह ग्राज पूरा हो गया है। सभी काफी गुंजाइश है काम करने के लिए। ग्रापकी पार्टी ने 1980 तक रिजर्वेशन का एक्सटेंशन नहीं किया तो जब इन्दिरा जो फिर सत्ता में ग्राई तो उन्होंने 1980 में पहला काम यह किया कि 10 साल तक ओर रिजर्वेशन बढ़ा दिया। इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है और नकोई दल पीछे इट सकता है। यह सवाल ही नहीं हैं यह हमारा कांस्टीट्य्शनल कमिटगेंट है।

It is to remove the disparities in the society. This is everybody's Constitution. The Constitution belongs to the nation. We are all committed to remove social disparíties, economic disparities and political disparities also. But we must go into the genesis of the whole problem. Our society is a very complex society. We cannot blame it because it is a society

जिसका कमिटमेट कंस्टीट्यूशन में हैं। उसकी किया जाए। भ्राप देखिये कि अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिसिपल 46 में इसकी रखा, एन्टरी फाइव लिस्ट टु में हैं कि सब राज्यों में इसका बराबर कानून बने । ज़हां हमारा राज है वहां हम देखेंगे श्रीर जहाँ ग्रापका राज है उसको ग्राप देंखे। श्रगर कहीं कमी है तो प्रधान मंत्री ज़ी ने जो स्रोवाहन किया है नेशनल कासैन्सस का वह हम डवलप करेंगे। मैं यह द्वारा कहना च हता हुं कि अगर कोई डोमि-नेन्ट कम्युनिटी जवर्दस्ती आरक्षण लेना चाहती है तो इसकी चर्चा अप्राज के दिन नहीं होनी चाहिए। इसकी चर्चा श्राप दूसरा रेजोलशन लाकर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट दो-तीन निर्णय दिये हैं रिजर्वेशन पर । लेकिन ग्रगर कोई पालि-टिकली डोमिनेंट कम्युनिटी रिजर्वेशन लेगी तो यह हरिजन के हिंत की बात नहीं है। इसलिए में अर्जे कर रहा हूं कि जहां जनता पार्टी की सरकार है वहां पूरी कोशिश करें ग्रीर अगर यह वह कहते हैं कि उनके यहां आईडियल सिक्यएशन है ता यह कहना ठोक नहीं हैं। वह यह कहते हैं कि .वहां पर सिच्युएशन हरिजनों के हक में है तो यह इहता ठोड़ नहीं हैं। ब्राईडियल तिवयुएशन कहीं पर भी नहीं है चाहे कितना भी क्रांतिकारी चीफ मिनिस्टर बैठा हो। उसको अपनी गद्दी की फिक होती है। अगर कोई हरिजनों के निए कुछ करना चाहता है ग्रीर हमारी मदद चाहता है तो मैं उनके साथ रहंगा।

जैसा ब्रापने कहा कि नौकरियों में त्रारक्षण हो, नौकरियों में जो अम्बेडकर जीने धारक्षण देने की बात कहीं थी वह दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि शोड्यल कास्ट्स का भाई प्राई पी एस बन जाता है तो अपनी बिरादरी से वह कट जाता है। मैंने अपन मौहल्ले में देखा है कि वेल टु इहरिजन आई पी एस, आई ए एस हो गया है। वह खुद इस बात का संकोच करता है नि वह अपनी विरादरी में बैठे। इम तो तैयार हैं क्योंकि हम लोगों का बचपन इरिजनों श्रौर ब्राह्मणों बीच में गुजरा । उस वन्त हरिजनों श्रौर बाहामणों में बोई फर्क नहीं माना जाता

[Shri H. K. Bhardwaj]

coming over the years and ages. But we must show that each one of us is concerned about that section of the society which is for ages under-privileged. How do we do it? Let us think over this problem. So far as the Panchayats are concerned, I would submit that they should be strengthened, they should be revived. On our part, we are going to make detailed study of where the real problem is. So far as the reservation is concerned, if you want more reservations, I don't think the Constitutional Amendment is the answer because you cannot tinker with the Constitution when there is a remedy elsewhere. There is a complete demarcation of the legislative You have Entry V in List II. You can legislate on this problem to any extent. Even if some States want to give 50 per cent reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, mind you, I repeat, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there is a Constitutional protection, and preferential treatment is given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so far as reservation is concorned. Therefore, we must create an atmosphere and a climate in the country where the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes find some place in this. And that can only be done when the institutions exist. So, I am going to start my work an analysis, as to where the institutions are functioning and where institutions are not functioning. But then I would need the co-operation of all the State Chief Ministers. I can assure this hon. House that I am going to write to them on this issue because although the Elections Departments in the States belong to the States, since the Parliament and Legislative Assembly elections with us, I am going to discuss it with the Election Commission and see how far we can coordinate firstly to see that where the local selfgovernment institutions or bodies exist, they function properly, and if they do not function properly, then what the methods are to make them function properly. The melody is a very old. I have said that in 1952, in 1964 and in 1977, committees after committees have been discussing all these issues of budgeting, finances of the local bodies, but no

solution has so far been found. But primarily we are concerned with this question of giving dignity to the Harijan and the Girijans. That dignity can be assured if they can sit on the same table alongwith each other. And that should be provided by an amendment of all the existing statutes. There are various statutes. I find practically in all the States statutes on panchayats, zilla parishad and other bodies And now there is a review also whether there should be a three-tier system or a two-tier system. But whatever it may be, that system must contain special provisions so that the democracy travels to the grass-roots.

Then, Sir, I don't share the idea that

nothing has happened in the country. The

country has seen a silent revolution, a silent revolution in the sense that what we were when we were not independent and what we are after independence. There is a difference which nobody can perceive unless he has the heart to appreciate the realities of life, and 4 P.M. whenever there is resistance. particularly he mentioned Bihar, I appreciated that Bihar is one place where a lot of work requires to be done and that is where we all must put our heads together. A lot of things have happened in this part of the country, Rajasthan. Madhya Pradesh, of U. P., this part in Delhi and other parts and your Maharashtra, I am proud say that it is a unique society there. You do not find difficulty. I have found very great difficulty in getting recommendation of many Harijan as a High Court judge or a superior officer. But every now and then I am requesting them to find talent from this class of society and if there is a prejudice you must remove that even if you have to tilt a little without compromising the quality in the appointment, please do that. I am not really shirking that responsibility. I have written twice, thrice and I am trying to break those shackles and fetters which there are in somebody's mind that should be removed. But the question is that socia! prejudice they carry for ages anl ages may be required to remove that. It there right from Manu's time. This discrimination has travelled here but the sooiety changed in Akbar's time. Now it is a democratic society and we have the powers. This Parliament has the power to take the country where you like and such resolutions do help us in carrying the country to a right direction.

That is where I must thank the Mover of the Resolution. His own State has given 18 per cent of Reservation in Tamil Nadu. That may be something unique. If I am not correct, the percentage may be a little more.

SHRI N. RAJANGAM (Tamil Nadu): In what way are they given 18 per cent in Tamil Nadu? No, no. In Tamil Nadu reservations are given according to the Constitution in accordance with the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in accordance with their population. That too in legislatures only and not in local bodies. That is why I bring this Bill today.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I will tell you, under section 36AA(1) of the Tamil Nadu Panchayat Act, 1958, which provides 18 per cent total number of offices of chairman of panchayat union councils in each district will be reserved for the members of the Scheduled Castes and Tribes. This is an Act which I have seen and it may be that there may be some modification but I was only appreciating the work done that if 18 per cent reservation is given in the unions of district panchayats, it is quite a good work and this is stated in practically all the provisions which I could lay my hands on. But I think your suggestion is very valid, if some more is to be done that can be done. But it is not that we must amend the Constitution. The Constitution has an answer before you. It gives competence to all the State Legislatures to frame any law with regard to the local self governments for all the States on all matters even regarding reservation. So, we must create a climate, hold a dialogue and research, a type of analysis to see that how you can give more representation. You can talk to the Chief Ministers. You cannot dictate from here and say do this and do that. It may not be acceptable. Now, you have said vuorself that there are Governments of various political parties everywhere. Let them respond to your resolution.

I must express my thanks to all the hon. Members except that wherever I sometimes feel very unhappy about one thing before us. A pointed question that is reservation on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in local self government institutions, this was the resolution which was before us. Now the guns have been pointed in different directions. I need not reply to them because that is the political part of our speeches. (Interruptions). That is why I say adulteration has not been done away with. Adulteration of thought is still there. Therefore, if we look objectively at it, at the relevant part of it, we have all agreed on this and we have all promised to do our part in this direction whether in Delhi or in U.P. or in Madras. I personally feel that after having done a research on this that a lot of work is needed to strengthen these institutions. and to have a national dialogue-I repeat, national dialogue-because practically all major political parties are in power in the States and that is why you need a national dialogue. When Congress was in power, these Acts were made. Therefore, some sort of a dialogue is necessary, to talk to different political parties from different levels. I am aware of the patriotic zeal of all the political parties. Success will notice far too long. Therefore, while appreciating and thanking the mover and all other hon. Members who have contributed tremendously with their thoughts. I have noted down those ideas, and particularly whatever action is needed by my Ministry and by the Central Government, we shall certainly move; but I want to have a promise from all the hon. Members that wherever their parties are in power, they will persuade them to speed up measures for these reservations. Those who are in power, should take up this responsibility in their States because this is a Constitutional division of subjects, and I need your cooperation and it can assure you that we are sincere on this cause because it is a national demand, a commitment of our forefathers to these backward communities, and so long as these disparities, the backwardness, will survive, our efforts should not stop if we are sincere to the Constitution and to our forefathers and

[5 DEC. 1986]

[Shri H. R. Bhardwai]

355

to the future generation of his country. I assure you that Indian National Congress -which I represent-has always stood with these weaker sections. Wherever is atrocity on Harijans, we have moved out and protected them and we will sincerely do that again. I request the hon. Member to withdraw his Bill and we will carry out the suggestions.

SHRI N. RAJANGAM: My only intention to bring this Bill was against social discrimination, against economic exploitation by communal institutions, and particularly in the local administration of the local body institutions in the villages, against the social bigot, social injustice and tyranny. In this connection, I hope that a remedy will be found out and I get a hope from the speech of the hon. Minister for Law.

What I want from the hon. Minister is that there should be some circular or a Government order issued to protect the intesrests of Harijans in the panchayats and panchayati-raj institutions in future, and with that hope I withdraw my Bill

I am thankful to the hon. Members of the House who have given great support to my Bill and I am also thankful to the hon. Law Minister for his explanation in detail. I beg leave to withdraw the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Bill?

(No hon. Member dissented)

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1985 (TO AMEND ARTICLE.324)

श्रो सत्य प्रकाश मालवोय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हं कि भारत के संविधान का ग्रौर संशोधन करने वाले विधेपक पर विचार किया जाए।

उपसभाष्टमक्ष (श्री पवन कमार बांसल) पीठासीन हुए]

देश गलाम था. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतत्व में अप देश ने ग्राजादी की लडाई को लडा और म्रंहिसा के रास्ते चल कर 15 श्रगस्त 1947 को हमने श्राजादी प्राप्त की। भ्रौर 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल्पना थी कि जब हमारा देश म्राजाद होगा तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को छोटे ते छोटे व्यक्ति को इस देश के शासन में भागीदारी का ग्रधिकार होगा, क्योंकि भंग्रेजों के जमाने में भी चुनाव हुआ करते थे, लेकिन जब वह चुनाव हो ते थें तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को वोट देने गा ग्रधिकार नहीं रहता था। लेकिन जब हमारा संविधान बना और 26 जन-वरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें उस बात का भी प्रावधान किया गया कि इस देश में 21 वर्ष या 21 वर्ष मे ज्यादाकी की ग्राय के जितने भी लोग है उनको वोट देने का ग्रिधिकार होगा। इस देश के राष्ट्र-पति ना भी एक वोट होगा और इस देश के गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर वर्ग के व्यक्ति का भी एक ही वोट होगा। इसलिए इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई स्रौर हमारे संविधान में भी कहा गया कि हमारा देश लोकतांत्रिक प्रणाली पर गणतंत्र के श्राधार पर चलाया जाएगा ग्रौर ाव संविधान बन रहा था उस समय किस प्रकार से हमारे देश में लोक सभा के चनाव होंगे, किस प्रकार से विधान सभागों के चुनाव होंगे ग्रौर किन लोगों के हाथ में इन चनावों को कराने का प्रवन्ध होगा, इन सारी बातों की व्याख्या की गई। इसके बाद मान्यवर, सन् 1952 से लेकर म्राज तक म्राठ बार लोक सभा के चुनाव हो चके हैं। 1952 में हुए, 1957 में हुए, 1962 में हुए, फिर 1967 में हुए, 1971 में हुए, 1977 में हुए, 1980 में हुए श्रीर ग्रतिम बार चुनाव 1984 में हुए। इस प्रकार हमारा देश भारतवर्ष इस संसार का सब से सफल और सब से वृहत लोकतांत्रिक राज्य है ग्रीर हमारे यहां जो व्यवस्था है जिसके लिए कहा गया है कि डेमो-क्रेसी इज ए गवर्नमेंट ग्राफ पीपल फार पीपल एंड वाय दी पीपुल। इसलिए जब संविधान बनाया गया तो **उसमें** इस भी बात का